

डॉक्टर हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर(म0प्र0)



क्रमांक: डीसीडीसी / 115

विश्वविद्यालय कार्यालय,
सागर, दिनांक 01.09.2011

—: प्रमाण पत्र :-

8

प्रमाणित किया जाता है कि ज्ञानवीर महाविद्यालय, सागर इस विश्वविद्यालय से सम्बद्ध है। महाविद्यालय को विश्वविद्यालय द्वारा दी गई संबद्धता-निरंतरता सत्र 2011-12 में भी जारी है।

1. बी.ए.—आधार पाठ्यक्रम, हिन्दी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, राजनीति, इतिहास, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, भूगोल एवं कम्प्यूटर एप्लीकेशन
2. बी.काम.—सभी अनिवार्य विषय / कम्प्यूटर एप्लीकेशन सहित
3. बी.एससी.—आधार पाठ्यक्रम, भौतिक, रसायन, गणित, वनस्पतिशास्त्र, प्राणीशास्त्र, कम्प्यूटर एप्लीकेशन, कम्प्यूटर साइंस, बायोटेक्नालाजी एवं नाइकोबायालाजी,,
4. बी.सी.ए.
5. पी.जी.डी.सी.ए.
6. एम.सी.एम.
7. बी.बी.ए. (ऑनर्स)
8. एम.ए.पूर्वाह्न—हिन्दी, अंग्रेजी, समाजशास्त्र, भूगोल, इतिहास एवं अर्थशास्त्र
9. एम.काम.पूर्वाह्न
10. एम.एससी.पूर्वाह्न— बायोटेक्नालॉजी एवं गणित

Naw

कुलसचिव
डॉक्टर हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय,
सागर (म0प्र0)

प्रति,

प्राचार्य,
ज्ञानवीर महाविद्यालय,
सागर (म0प्र0)

2

①

②

डाक्टर हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर ७३२००१

क्रमांक: समिति/अस्थायी सम्बन्ध/२००१/२९७

विश्वविद्यालय कार्यालय,

सागर, दिनांक ९ जनवरी, २००२

:: अधिसूचना ::

परिनिर्देश २७ की धरिका ५ एवं ६ के प्रावधानानुसार विद्या परिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक २५-९-२००१ में की गई अनुशासकों के आधार पर कार्यसिंहद की बैठक दिनांक ०८-११-२००१ के पद क्रमांक १३ में किये गये निर्णयानुसार ज्ञानवीर महाविद्यालय, सागर में निम्नांकित विषयों की कक्षाओं प्रारंभ किये जाने हेतु अस्थायी सम्बन्धता सत्र २००१-२००२ के लिये प्रदान की जाती है:-

- १- सी०ए० द्वितीय वर्ष --- आधार पाठ्यक्रम, हिन्दी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, राजनीति शास्त्र, इतिहास, समाजशास्त्र, अध्यात्म एवं भूगोल .
- २- सी०कॉम० द्वितीय वर्ष --- सभी अनिवार्य विषय - विद्य कम्प्यूटर एप्लीकेशन.
- ३- सी०सी०ए० द्वितीय वर्ष
- ४- सी०एन-सी० प्रथम वर्ष --- भौतिकी, रसायन, गणित, इन्स्ट्रुमेंटेशन एवं कम्प्यूटर एप्लीकेशन .

आदेशानुसार,

श्री.का.लोहा

कुलसचिव

डा० हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर ।

प्रतिलिपि:-

- १- प्राचार्य, ज्ञानवीर महाविद्यालय, गोपालपुर, सागर को इस निवेदन के साथ कि वे कृपया विद्या परिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक २५-९-२००१ के पद क्रमांक: अ.अ.:१ में किये गये निर्णय के अनुक्रम में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें । दिनांक २०-९-२००१ के निरीक्षण प्रतिवेदन की छायाप्रति संलग्न है ।
- २- आयुक्त, उच्च शिक्षा, संप्रदाय शासन & अत्यासकीय शैक्षणिक संस्थाओं से संबंधित शाखाएं, सतपुड़ा भवन, तीसरी मंजिल, भोपाल .
- ३- सचिव, उच्च शिक्षा, महाराष्ट्र शासन, सचिवालय, भोपाल .
- ४- क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा & सागर सम्भाग & जेडस कॉलेज परिसर, बन्दरगुप्त छात्रावास, पचपेडी, जजलपुर .
- ५- संचालक, महाविद्यालयीन विकास परिषद, डा० हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर .
- ६- उपकुलसचिव प्रशासन/परीक्षा/वित्ताधिकारी
- ७- सहायक कुलसचिव परीक्षा/विकास
- ८- सभसद शाखा प्रभारी
- ९- कुलसचिव के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक
- को सूचनाार्थ ।

श्री.का.लोहा

कुलसचिव

डा० हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर

2



कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा म. प्र. शासन
अशासकीय शैक्षणिक संस्थाओं से संबंधित शाखा
तीसरी मंजिल सतपुड़ा भवन, भोपाल

प्रमाण-पत्र

विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्रावधान 26(1) पांच के अन्तर्गत आयुक्त द्वारा नये
अशासकीय महाविद्यालय के लिए विभिन्न विषयों की कक्षाएँ प्रारंभ करने हेतु अस्थायी रूप से प्रारंभ
करने की अनुमति... के लिये अतिरिक्त संकल्प आयुक्त अधिकृत करता है.
विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 24(दस)(1) के अनुसार इस प्रमाण पत्र की
वेद्यता पिछले पृष्ठ पर दी गई शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है.

प्रमाणित किया जाता है कि ज्ञानपीठ महाविद्यालय सागर
सत्र 2001-2002 से निम्नलिखित संकाय/विषय की कक्षाएँ प्रारंभ करने-

- बी.एस.सी. प्रथम - भौतिकशास्त्र, रसायन शास्त्र, गणित, 2001-2002
इंस्ट्रुक्शन एवं कम्प्यूटर साइंस.
- डी.सी.ए. 2001-2002

के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदाय किया जाता है.

1. सत्र 2001-2002 से प्रवेश प्रारंभ करने के लिए... शैक्षणिक स्टाफ की पूरी व्यवस्था हो.
2. प्रयोगशाला की संपूर्ण सुविधायें प्रवेश प्रारंभ करने के पूर्व की जायें.
3. संस्था की वित्तीय संसाधनों की जानकारी एक माह के अन्दर उपलब्ध कराना होगा.
4. तीन वर्षों की अनुमानित बजट की जानकारी दें.
5. महाविद्यालय शासन से कभी अनुदान की मांग नहीं करेगा. महाविद्यालय नो प्रॉफिट/नो लॉस के आधार पर चलाया जायेगा.
6. कालेज कोड 28 के अन्तर्गत प्रार्थ्य एवं शिक्षकों की नियुक्ति 3 माह में कर ली जाये.
7. शासन द्वारा समय-समय पर दि गये निर्देशों का पालन करना आवश्यक होगा.

हस्ताक्षर
अतिरिक्त संचालक,
वास्ते-आयुक्त, उच्च शिक्षा
मध्य प्रदेश, भोपाल.

6

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा,
मध्य प्रदेश, भोपाल - 462 004

गोपाल दिनांक / / 2002

हमाक/1312/13/संबद्धता/2002/

प्रति

कुलसचिव,

विश्वविद्यालय

हरदोहरा गोर

(म०प्र०)

भाग

विषय:- मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 24 (दस) और 26(1) (पॉच) के अन्तर्गत
अनापत्ति प्रमाण-पत्र बावत् ।

महोदय,

(संस्था का नाम) को

आपका नाम

(महाविद्यालय का नाम) में निम्नलिखित संकाय/विषय की

आपका नाम

कक्षाएं से प्रारंभ करने हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिया जाता है:-

- 1- बी. ए. द्वितीय वर्ष - आधार पाठ्यक्रम, हिन्दी भाषा, अंग्रेजी साहित्य, राजनीतिशास्त्र, इतिहास, समाजशास्त्र, उद्देश्यशास्त्र, एवं भूगोल ।
- 2- बी. एम. द्वितीय वर्ष - सभी उच्चवर्ष विषय ।
- 3- बी. एड. द्वितीय वर्ष
- 4- बी. एड. सी. द्वितीय - भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, गणित, इतिहास, राजनीतिशास्त्र, समाजशास्त्र, उद्देश्यशास्त्र, एवं भूगोल ।
- 5- बी. एड. सी. ए. प्रथम वर्ष 6- बी. एड. सी. ए. द्वितीय वर्ष
- 7- बी. एड. सी. प्रथम वर्ष - राजनीतिशास्त्र, समाजशास्त्र, उद्देश्यशास्त्र, एवं भूगोल ।

2. अगर महाविद्यालय द्वारा निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति तक नहीं की गयी तो यह अनापत्ति प्रमाण-पत्र निरस्त करने बावत् कार्यवाही की जायेगी।

- 1- शिक्षकों की नियुक्ति
- 2- बुकबंदी की उपलब्धता
- 3- उपकरणों की उपलब्धता

3. अशासकीय महाविद्यालयों से संबंधित सामान्य शर्तें यथावत रहेंगी।
(अयुक्त द्वारा अनुमोदित)

(डॉ. एस. जोनाथन)
संयुक्त संचालक
उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश, भोपाल

(4)

~~(4)~~

डाक्टर हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर {म०प्र०}

क्रमांक:

क्रमांक: समिति/सम्प्र/2002/4448

विश्वविद्यालय कार्यालय,

सागर, दिनांक 12 दिसम्बर, 2002

// अधिसूचना //

परिचय 21 की कण्डिका 5 के प्राचक्षानों के अंतर्गत गठित निरीक्षण समिति से प्राप्त प्रतिवेदन में की गई अनुसूचियों को मान्यकर मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 15 §4§ में निहित शक्तियों का उपयोग करते हुए कुलाति महोदय ने आने आदेश दिनांक 10-12-2002 द्वारा अधोलिखित महाविद्यालयों को उनके नाम के सम्मुख दर्शाते त्त्र एवं विषयों में अस्थायी सम्बद्धता प्रदान की है:-

क्रमांक	महाविद्यालय का नाम	दशा / विषय	त्त्र ✓
1-	ज्ञानवीर महाविद्यालय, सागर	- बी०एस-सी० प्रथम वर्ष - कम्प्यूटर साइंस, वनस्पति शास्त्र एवं प्राणिशास्त्र. - एम०सी०एम० प्रथम वर्ष तथा पी०जी०डी०सी०ए.	2002-03 2002-03
2-	रेवानाथ चौरे कालेज आफ इन्फरमेशन टेक्नालजी, सागर §छिंदवाडा§	- एम०सी०एम० प्रथम वर्ष तथा पी०जी०डी०सी०ए.	2002-03
3-	श्रीनाथ महाविद्यालय, परासिया §छिंदवाडा§	- बी०सी०ए० प्रथम वर्ष - बी०काम० प्रथम वर्ष -कम्प्यूटर एप्लीकेशन विषय सहित.	2002-03 2002-03
4-	वीरगंगा अक्तीबाई लोधी महाविद्यालय, उत्तरपुर.	- बी०सी०ए० प्रथम वर्ष - बी०काम० प्रथम वर्ष -कम्प्यूटर एप्लीकेशन विषय सहित. - बी०एस-सी० प्रथम वर्ष कम्प्यूटर एप्लीकेशन विषय सहित.	2002-03 2002-03 2002-03

आदेशानुसार,

डा० ए०के० के०के०

{ डा० ए०के० के०के० }
कुलसचिव;

प्रतिनिधि-

1- संबंधित महाविद्यालयों के प्राचार्यों को इस निवेदन के साथ कि वे कृपया निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन के आधार पर विद्या परिषद की स्थायी समिति की संबंधित बैठक में लिये गये निष्पत्ति के अनुक्रम में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कर विश्वविद्यालय को सूचित करें। निरीक्षण प्रतिवेदन की छायाप्रति संलग्न है।